Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **निम्बाहेडा**

अजीज मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा,

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** मु.न. **28** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
	पत्रावली आज पेश वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 5 की आराजी नंबर 2483 रकबा 0.9000 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थगढ़ी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा	No-objection रणजीत सिंह राठौड़.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner